



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082022-238023
CG-DL-E-10082022-238023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2022/श्रावण 19, 1944

No. 195]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2022/SHRAVANA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

फा. सं. 16/1/2015-पीआर.—अटल पेंशन योजना – भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में अटल पेंशन योजना के संबंध में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 16 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/1/2015-पीआर में आंशिक परिवर्तन करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

I उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के अंत में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“परन्तु यह कि 1 अक्तूबर, 2022 से कोई भी नागरिक, जो आयकर-दाता है अथवा रहा है, एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।”

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, “आयकर-दाता पद से कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा जो समय-समय पर यथा-संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो।”

II उक्त अधिसूचना के पैरा 13 के अंत में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“यदि कोई अभिदाता, जो 1 अक्तूबर, 2022 को अथवा उसके पश्चात योजना में शामिल हुआ हो तथा तदनंतर लागू होने की तारीख अथवा उसके पहले आयकर-दाता पाया जाता है, तब एपीवाई खाते को बंद कर दिया जाएगा तथा उक्त तारीख तक संचित पेंशन धनराशि अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।”

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना 16 अक्टूबर, 2015 को जारी की गई थी तथा तदनंतर 19 जनवरी, 2016 तथा 22 मार्च, 2016 की अधिसूचना के माध्यम से इसे संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2022

F. No. 16/1/2015-PR.—Atal Pension Yojana.— In partial modification of Ministry of Finance, Department of Financial Services Notification No. 16/1/2015-PR dated 16th October, 2015 on Atal Pension Yojana, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, the following amendment are hereby made:--

I. In the said notification at the end of para 2 the following shall be inserted, namely:-

“Provided that from 1st October, 2022, any citizen who is or has been an income-tax payer, shall not be eligible to join APY.

Explanation: For the purpose of this clause, the expression “income-tax payer” shall mean a person who is liable to pay income-tax in accordance with the Income Tax Act, 1961, as amended from time to time.”.

II. In the said notification, at the end of para 13, the following shall be inserted, namely:-

“In case a subscriber, who joined on or after 1st October, 2022, is subsequently found to have been an income-tax payer on or before the date of application, the APY account shall be closed and the accumulated pension wealth till date would be given to the subscriber.”.

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

Foot Note : The Original Notification was issued on 16th October, 2015 and was subsequently amended by Notification dated 19th January, 2016 and Notification dated 22nd March, 2016.